कार्यालय- प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/ Fax No. 01382-228467 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांक- 3057 /५-36 ,दिनांक, कोटद्वार, 15 : मार्च : 2022.

अल्पकालीन निविदा सूचना :–

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों हेतु मोहर बन्द निविदायें दिनांक 21–03–2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आंमत्रित किये जाते है। निविदा के साथ बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की एन0एस0सी0/सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो "प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार" के नाम निरूपित (Pledge) हो संलग्न करना अनिवार्य है। **प्रभाग में सम्बन्धित कार्य हेतु "पंजीकृत ठेकेद्वार/फर्म/संस्था"** ही आमंत्रित निविदा के सापेक्ष आवेदन कर सकते है, इस हेतु प्रभाग स्तर से जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की पठनीय स्व–सत्यापित छायाप्रति चस्पा की जानी आवश्यक है। निविदा प्रपत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 19–03–2021 तक निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। दिनांक 21–08–2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर हो संलग्न किया जाये। जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की वर्तमान वैद्य प्रमाण–पत्र एवं विगत दो वर्ष के टैक्स रिटर्न फाईलिंग की स्व सत्यापित छायाप्रति निविदा की शर्तों की मंजूरी के साथ लगाना अनिवार्य है। निविदा की शर्ते व अन्य विवरण प्रभाग के सूचना पट पर अथवा विभागीय वेबसाईड–www.forest.uk.gov.in पर अवलोकित किये जा सकता है।

पंजीकृत डाक से प्राप्त निविदायें दिनांक 21–03–2022 को ही अपराह्न 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत समिति द्वारा खोली जायेगीं। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। टेण्डरदाता निम्नलिखित विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके पर समझकर टेण्डर दें :–

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित धनराशि (रू0)	नेक जमानत की धनराशि (रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार में पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लैन्सडौन रेंज के ग्राम–सीला तल्ला में सौर ऊर्जा घेरबाड़ (1.50 किमी0)	1779000	36000	1500+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार
2	दुगड्डा रेंज के ग्राम–रामणी की सीमा पर हाथियों से ग्रामीणों एवं उनकी फसल की सुरक्षा हेतु सौर ऊर्जा घेरबाड़ (1.50 किमी0)	1779000	36000	1500+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार
3	दुगड्डा रेंज के ग्राम–धूराताल की सीमा पर हाथियों से ग्रामीणों एवं उनकी फसल की सुरक्षा हेतु सौर ऊर्जा घेरबाड़ (1.00 किमी0)	1186000	24000	1500+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार
4	कोटद्वार रेंज के ग्राम–मुण्डला में सौर ऊर्जा घेरबाड़ (1.20 किमी0)	1423200	29000	1500+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार
5	लालढांग रेंज के रवासन द्वितीय में सौर ऊर्जा घेरबाड़ (2.00 किमी0)	2372000	48000	2000+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार
6	लालढांग रेंज के भोगपुर ब्लॉक में (प्रधान की गौशाला से कुलहातोक तक) सुअर रोधी दीवार निर्माण कार्य (210 मी0)	848000	17000	1000+CGST/ SGST	10 दिन	10 दिन	पंजीकृत ठेकेदार

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1– निविदादाता द्वारा लिफाफे के बाहर कार्य का नाम तथा प्रभाग में रजिस्ट्रेशन का क्रमांक भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।

2– कार्य का प्राक्कलन, कार्यस्थल एवं दरों का भली–भॉति परीक्षण करें। कार्य आवंटन के उपरान्त कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

3– निविदा गोल ठेके पर दिया जाय और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता कार्य की अनुमानित धनराशि से कितने प्रतिशत कम या अधिक पर कार्य करने को तैयार है।

4– सशर्त डाली गई निविदा रद्द समझी जायेगी। निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद निविदा नोटिस में दी गई शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।

5– निविदा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाये। दस्ती अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगें।

6– सक्षम अधिकारी, प्राप्त न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगें, तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

प्राप्त होने वाले निविदा में सफल निविदा की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने के पश्चात, बजट की उपलब्धता के आधार पर ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

8– ठेकेदार को कार्यों हेतु स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

9– कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा व कार्यादेश के पश्चात प्रतिज्ञा/अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर कार्य तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने पर बन्धक धनराशि जब्त कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10– Performance Security नियमानुसार कार्यादेश से पूर्व जमा करनी अनिवार्य होगी।

11– निर्माण कार्य प्राक्कलन में दिये गये **कार्य विवरण के अनुसार निर्धारित मानकों** के आधार पर सम्पादित करना अनिवार्य होगा।

12– कार्य प्राक्कलन का सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय, कोटद्वार में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

13– प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा से किया गया तो उसका भुगतान करने के लिये विभाग बाध्य न होगा। यदि कोई अतिरिक्त कार्य उनकी लिखित आज्ञा से कराया गया तो उसका भुगतान निविदा में दी गई दर के अनुसार किया जायेगा। कार्य की मात्रा में कमी या वृद्धि प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति से हो सकती है।

14– कार्य को कार्यादेश की तिथि से निविदा की तालिका के अनुसार दी गई अवधि के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करना होगा। कार्य करने हेतु अवधि विस्तार किसी भी दशा में प्रदान नहीं किया जायेगा।

15– कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है, जिसे ठेकेदार को अपने खर्चे पर पुनः पूर्ण करना होगा या फिर गुणवत्ता में कमी के अनुसार ठेकेदार के भुगतान से नियमानुसार निर्धारण चार्ट तैयार कर वसूल की जायेगी, जिसका आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी।

16– कार्य का निरीक्षण समय–समय पर प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अथवा रेंज अधिकारी या प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी इस कार्य के लिये नियुक्त होगें, द्वारा किया जायेगा और उनके कथनानुसार ठेकेदारों को सब कार्य प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने होगें।

17– कार्य का पूर्ण भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद तथा कार्य पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जायेगा।

18– ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य का कोई भी भाग दूसरे ठेकेदार को नहीं दे सकता। ऐसे अवैधानिक ठेके किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेगे।

19– ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त होने पर कार्य स्थल पर जमा मलवा, अत्यधिक सामग्री का ढेर आदि कार्य प्रभारी एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार निस्तारित करना होगा।

20– ठेकेदार को भुगतान करते समय सरकारी आदशों के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर, स्टॉम्प शुल्क एवं रॉयल्टी आदि की नियमानुसार कटौती की जायेगी। ठेकेदार को भुगतान कर देने के पश्चात भी यदि कोई राजकीय कर की देयता ज्ञात होती है, तो ठेकेदार इस कर/देयता को जमा करने के लिये बाध्य होगा।

21– विभाग कोई सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

22– ठेकेदार को वन क्षेत्र की नदियों से निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत व रोड़ी आदि चुगान की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं बाजार से क्रय कर लानी होगी। ठेकेदार को सामग्री की रसीद/रवन्ना मौके पर दिखाना होगा।

23– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की पत्र संख्या–211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26–02–2016 संशोधित नियमावली के तहत् नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त बजरी, मिट्टी, बोल्डर की रॉयल्टी निर्धारित दर पर जमा की जायेगी।

24– 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य के अन्तिम भुगतान/अन्तिम एम0बी0 तिथि के एक वर्ष बाद सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर अवमुक्त की जायेगी। अगर इस एक वर्ष के अन्तराल में किये गये कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ठेकेदार को ठीक करना होगा, जिसके लिए ठेकेदार को विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसा न करने पर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

25– निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता हेतु प्रमाणित Test Certificate दिया जाना आवश्यक होगा। Test Certificate उपलब्ध कराये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा की दशा में कार्य पर हुए व्यय के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

27– वन क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु भारी मशीन/उपकरणों का प्रयोग वर्जित होगा।

निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार अथवा उनके किसी श्रमिक को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।

29– कार्य सम्पादन के दौरान यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो निविदादाता को प्रभाग द्वारा अन्तिम रूप से दिये गये निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा।

30– तकनीकी विभागों में पंजीकृत श्रेणी डी0 एवं उच्चतर का वर्तमान में वैद्य/नवीनीकृत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत निविदा के साथ चस्पा करना अनिवार्य होगा।

31– वित्तीय वर्ष 2021–22 समाप्ति पर है, इस हेतु जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उस निविदादाता द्वारा 8 प्रतिशत धनराशि (2%+8% =10% नेक जमानत+परफोरमेन्स सेक्यूरिटी) दिनांक 21–03–2022 को ही प्रभागीय कार्यालय में जमा करेंगे अन्यथा की स्थिति में समय अवधि को ध्यान में रखते हुए निविदा निरस्त की जा सकती है।

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार।

पत्रांक :- 3057 (1)/ 4-36 ,दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/निविदा शर्तो को विभागीय वेबसाईड–www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4– उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार/लैन्सडौन उप वन प्रभाग।
5– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
6– प्रभागीय नोटिस बोर्ड।
7– गार्ड पत्रावली।

(अमरेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार।

I.T.G.C
कृ. अपलोड करें
पेशा करें